न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 465/2025

श्री धीरज कुमार, ग्रा0पो0 गिडानिया, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333027, मो0न0 9413112115

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

——

आदेश

दिनांक 17.11.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 04.11.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 465/2025 पर दिनांक 04.11.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/4843—844 दिनांक 04.11.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा ने पत्रांक सू0अ0/2025/64 दिनांक 17.11.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, चिडावा तहसील कार्यालय चिडावा से संबंधित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक सू0अ0/2025/49 दिनांक 06.10.2025 के द्वारा जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, चिडावा को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा ने पत्रांक सू0अ0/2025/64 दिनांक 17.11.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, चिडावा तहसील कार्यालय चिडावा से संबंधित होने के कारण उनके कार्यालय के पत्रांक सू0अ0/2025/49 दिनांक 06.10.2025 के द्वारा जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, चिडावा को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। चूंकि प्रार्थी को आवेदन पत्र सूचना उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को नियमानुसार अन्तरित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 17.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर झुंझुनूं